



भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
Security Printing and Minting Corporation of India Limited

मिनीरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई  
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)  
Miniratna Category-I, CPSE  
(Wholly owned by Government of India)

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/159/12 (खण्ड II)/5692  
SPMCIL/VIG/159/12 (Vol. II)/

दिनांक 18.12.2015  
Date: 18.12.2015

परिपत्र संख्या 11/15/CIRCULAR NO. 11/15

विषय/ Sub: संविदा के निष्पादन के दौरान पाई गई अनियमितताएं/Irregularities observed during execution of a contract.

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के तकनीकी सलाहकार ने एक इकाई की संविदा में अपने निरीक्षण के दौरान यह पाया कि इकाई में संपत्ति के रखरखाव में विक्रेता द्वारा ढिलाई के लिए दंडात्मक प्रावधान निर्धारित नहीं किया गया था।

The Technical Advisor, Central Vigilance Commission during the inspection of a contract in one of the unit had observed that the penal provision for laxity by the vendor in maintenance of the asset was not prescribed by the unit.

2. इस संदर्भ में सतर्कता विभाग द्वारा दिनांक 04.09.2015 के परिपत्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पुनरावृत्ति करते हुए सभी संबंधितों को एतद् द्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में सभी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद में विक्रेता द्वारा ढिलाई के लिए दंडात्मक प्रावधान निर्धारित किया जाए।

2. In this regard, while reiterating the guidelines issued by Vigilance Department vide circular dated 04.09.2015, all concerned are hereby advised to ensure that the penal provision for laxity by the vendor in procurement of all types of goods and services is prescribed in future.

3. इस परिपत्र का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा सभी संबंधितों को जानकारी दी जाए। इसे इकाई की वेबसाइट पर भी डाला जाए तथा विभागीय सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए।

3. The widest possible publicity should be given to his circular and all concerned should be informed. It should also be uploaded on the website of the unit & displayed on the sectional notice board.

- पृष्ठ संख्या 2 पर जारी - / - Contd. at Page 2 -

शशिभूषण वैश्य  
18/12/15

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/159/12 (खण्ड II)/ ५६२२  
SPMCIL/VIG/159/12 (Vol. II)/

दिनांक 18.12.2015  
Date: 18.12.2015

- 2 -

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।  
4. This issues with the approval of Competent Authority.

शशिभूषण बेहेरा

(शशिभूषण बेहेरा)/(SHASHIBHUSHAN BEHERA)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/Dy. CVO

महाप्रबंधक/The General Manager,

टकसाल/मुद्रणालय/कागज कारखाना/नि.मु./Mints/Presses/Paper Mill/CHO,

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./SPMCIL

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक।/ CMD.
2. निदेशक (मा.सं./तक.)/मु.स.अ.।/Director (HR/Tech)/CVO.
3. अपर महाप्रबंधक (नि.मु.)।/Addl. GMs (CHO).
4. उप महाप्रबंधक (तकनीकी)/उप मु.स.अ./DGM (Tech)/Dy. CVO.
5. प्रबंधक (नि.मु.)/Managers (CHO).
6. सभी सतर्कता अधिकारी (नि.मु./इकाइयां)/All Vigilance Officials (CHO/units).
7. सूचना पटल एवं वेबसाइट।/Notice Board & Website.